न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 104/2025 दायर दिनांक–28.04.2025

1- महेश हरितवाल पुत्र रामावतार हरितवाल जाति ब्रहाम्ण निवासी झाझड तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०) हाल आबाद HOUSE NO- A-45 PASHARV NATH NAGAR, VISTAR YOJANA, KOTA RAJ -324001

– वादी

बनाम

1. विनोद कुमार शर्मा पुत्र रामावतार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी झझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०) हाल आबाद H-No- 53, Ram Nagar EXTN, Krishan Nagar, Krishna Nagar, East Delhi
2. वैभव पुत्र सुरेंद्र, पौत्र रामावतार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) हाल आबाद मकान नं. 53, राम नगर एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली
3. शिवानी शर्मा पुत्री सुरेंद्र, (पौत्री रामावतार शर्मा, पत्नी जितेश उपाध्याय) जाति ब्राह्मण निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) हाल आबाद 3/94, 9वीं मंजिल, पाम ओलंपिया, जीएच–2, गौर सिटी–2 के पास, सेक्टर–16सी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, जिला–गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)
4. सुनैना शर्मा पुत्री सुरेंद्र, (पौत्री रामावतार शर्मा/पत्नी कुशल शर्मा) जाति ब्राह्मण निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) हाल आबाद 53, राम नगर एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली
5. मीना शर्मा पत्नी सुरेंद्र, पुत्रवधू रामावतार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं (राज0) हाल आबाद 53, राम नगर एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, पूर्वी दिल्ली
6. अभिनव हरितवाल पुत्र अशोक हरितवाल, पौत्र रामावतार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज०) हाल आबाद H- No- A-45, Parshwanath Nagar, Borkheda, Kota Raj
7. एकता शर्मा पुत्री अशोक हरितवाल, पौत्री रामावतार शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं (राज०) हाल आबाद 7/208 D D A Flats Four Storey, South Delhi
8. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री दयाराम सैनी

वकील प्रतिवादी :– श्री विकास कुमार सैनी

दावा बाबत घोषणा व दुरूस्ती रिकॉर्ड

–:: निर्णय ::–

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:58 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 09.12.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि [illegible] ग्रा[illegible] झाझड पटवार हल्का झाझड की सरहद में भूमि खाता सं. नया 654 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर [illegible] रकबा 0.6700 हैक्टर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.6200 हैक्टर कुल किता 2 [illegible] रकबा 1.2900 [illegible] स्थित है जिसे आगे वा[illegible] वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित की [illegible] की खातेदारी वादी के पि[illegible] प्रसाद पुत्र श्रीनिवास के नाम हिस्सा 1/6 व शेष हिस्सा अन्य सहखातेदारो के नाम वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्जशुदा चला आ रहा है। उक्त पाद–पत्र में वादग्रस्त भूमि की खातेदारी संबंधित कोई विवाद नहीं है, न ही हिस्से से संबंधित विवाद है, सिर्फ राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम रामावतार शर्मा पुत्र

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक। नवलगढ़

श्रीनिवास के स्थान पर ठाकुर प्रसाद पुत्र श्रीनिवास गलत दर्ज चला आ रहा है, इसी का ही विवाद है, वादी के पिता का स्व० रामावतार शर्मा का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड में फौतगी इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है। वादी के पिता स्व० रामावतार शर्मा उर्फ ठाकुर प्रसाद पुत्र श्रीनिवास की वंशावली वाद पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज अनुसार है।

उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम रामावतार शर्मा पुत्र श्रीनिवास के स्थान पर ठाकुर प्रसाद पुत्र श्रीनिवास गलत दर्ज चला आ रहा है, वादी के पिता रामावतार उर्फ ठाकुरप्रसाद का स्वर्गवास दिनांक 14.01.2010 को दिल्ली में हो चुका है. जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र दावे के साथ संलग्न है, जिसमें भी रामावतार शर्मा के पिता का नाम श्रीनिवास दर्ज है। उक्त रामावतार अपने व्यापार के सिलसिले से दिल्ली रहते थे और वहीं उनका स्वर्गवास हुआ था, जिनके वारीसान वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 7 है, इनके अलावा अन्य कोई वारीस नहीं है. जिनकी वंशावली पैरा नं. 1 में वर्णित अनुसार है। वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 7 भी अपने व्यापार के सिलसिले से अलग–अलग स्थानो पर रहते है, जिस कारण से राजस्व रिकॉर्ड की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, सिर्फ भौतिक रूप से अपनी हिस्से की वादग्रस्त भूमि पर काबिज है, इसके चलते राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता का नाम ठाकूर प्रसाद गलत दर्ज चला आ रहा है।

वादी के पिता को लाड प्यार से परिवार, गांव में ठाकुर प्रसाद के नाम से भी सम्बोधित किया जाता था, जबकि वादी के पिता रामावतार शर्मा उर्फ ठाकुर प्रसाद के अन्य लोकदस्तावेज मतदाता पहचान–पत्र, मृत्यु प्रमाण–पत्र में वादी के पिता का नाम रामावतार शर्मा पुत्र श्रीनिवास दर्ज है, उक्त लोक दस्तावेजात् वाद–पत्र के साथ संलग्न है, जो वाद–पत्र के अभिन्न अंग है, वाद–पत्र के साथ पढ़े जावें। अब दिनांक 20.04.2025 को वादी अपनी हिस्से की भूमि को डवलप करने हेतु बैंक से ऋण लेने के लिये हल्का पटवारी से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तो हल्का पटवारी ने बताया कि आपके पिता का फौतगी नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है और आपके पिता का अन्य दस्तावेज में रामावतार शर्मा नाम दर्ज है व गलती से राजस्व रिकॉर्ड में ठाकुर प्रसाद नाम दर्ज है तो आपके नाम से कोर्ट से आदेश लेकर आने पर ही नामान्तरण दर्ज हो सकता है. इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा असमर्थता जाहिर करने पर वादी को इस राजस्व रिकॉर्ड का ईल्म हुआ। इसलिये उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खाता सं. नया 654 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.6700 हैक्टर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.6200 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2900 हैक्टर वाके ग्राम झाझड़ में स्थित के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के पिता रामावतार शर्मा उर्फ ठाकुर प्रसाद पुत्र श्रीनिवास के हिस्से 1/6 के स्थान पर वादी को हिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है तथा प्रतिवादी नं. 1 को हिस्सा 1/24 का, प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्ता 1/96–1/96 का, प्रतिवादीगण नं. 6, 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/48–1/48 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। इसी घोषित खातेदारी अनुसार रामावतार शर्मा उर्फ ठाकुर प्रसाद पुत्र श्रीनिवास के स्थान पर वादी व प्रतिवादीगण नं. 1 लगायत 7 का नाम दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ऐसी हालत में वादी के लिए यह दावा बावत् घोषणार्थ, दुरुस्ती रिकॉर्ड का पेश करना आवश्यक हुआ।

वादकारण दिनांक 20.04.2025 को वादी अपनी हिस्से की भूमि को डवलप करने हेतु बैंक से ऋण लेने के लिये हल्का पटवारी से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की नकल ली तो हल्का पटवारी ने बताया कि आपके पिता का फौतगी नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ है और आपके पिता का अन्य दस्तावेज में रामावतार शर्मा नाम दर्ज है व गलती से राजस्व रिकॉर्ड में ठाकुर प्रसाद नाम दर्ज है तो आपके नाम से कोर्ट से आदेश लेकर आने पर ही नामान्तरण दर्ज हो सकता है, इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा असमर्थता जाहिर करने पर बमुकाम झाझड़ पैदा हुआ।

अतः वाद वादी पेशकर निवेदन है कि– उपरोक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि खाता सं. नया 654 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.6700 हैक्टर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.6200 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2900 हैक्टर वाके ग्राम झाझड़ में स्थित के राज[illegible] में वादी के पिता रामावतार शर्मा उर्फ ठाकुर प्रसाद पुत्र श्रीनिवास के हिस्से 1/6 के स्थान [illegible] हिस्सा 1/24 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी नं. 1 को हिस्सा 1/[illegible] का, प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/96–1/96 का, प्रति[illegible] हिस्सा 1/48–1/48 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा इसी [illegible] राजस्व रिकॉर्ड [illegible]रुस्त करने के आदेश तहसीलदार नवलगढ को दिया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:58 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 03 व 07 की ओर से वकील श्री विकास कुमार सैनी ने

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण की तलबी सम्यक रूप होने के बाजवूद उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 व 07 की ओर से जबाब दावा पेश नही करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी महेश हरितवाल तथा अमृता हरितवाल का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, वोटर कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र (सुरेन्द्र), मृत्यु प्रमाण पत्र रामावतार, आधार कार्ड (वादी) आदि दस्तावेज पेश किये।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। वकील प्रतिवादी ने वाद अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति दी। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी व प्रतिवादीगण स्व0 रामावतार शर्मा उर्फ ठाकूर सिंह पुत्र श्रीनिवास के वारिसान है तथा मृतक रामवतार का नाम राजस्व रिकॉर्ड में ठाकूर सिंह के नाम से गलत दर्ज चला आ रहा है। अतः राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण को मृतक स्व0 रामावतार शर्मा उर्फ ठाकूर सिंह पुत्र श्रीनिवास के हिस्से 1/6 के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। भूमि खाता सं. नया 654 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.6700 हैक्टर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.6200 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2900 हैक्टर वाके ग्राम झाझड़ के राजस्व रिकॉर्ड में रामावतार शर्मा उर्फ ठाकुर प्रसाद पुत्र श्रीनिवास का हिस्सा 1/6 के स्थान पर वादी को हिस्सा 1/24 का, प्रतिवादी नं. 1 को हिस्सा 1/24 का, प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/96–1/96 का, प्रतिवादीगण नं. 6, 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/48–1/48 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:58 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़
मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकॉर्ड

मुकदमा सं0:– 104/2025 (महेश हरितवाल बनाम विनोद कुमार आदि)

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 09.12.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। भूमि खाता सं. नया 654 के अंतर्गत भूमि खसरा नम्बर 1002 रकबा 0.6700 हैक्टर, खसरा नम्बर 832 रकबा 0.6200 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 1.2900 हैक्टर वाके ग्राम झाझड़ के राजस्व रिकॉर्ड में रामावतार शर्मा उर्फ ठाकुर प्रसाद पुत्र श्रीनिवास का हिस्सा 1/6 के स्थान पर वादी को हिस्सा 1/24 का, प्रतिवादी नं. 1 को हिस्सा 1/24 का, प्रतिवादीगण नं. 2 लगायत 5 प्रत्येक को हिस्सा 1/96–1/96 का, प्रतिवादीगण नं. 6, 7 प्रत्येक को हिस्सा 1/48–1/48 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 09.12.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक, नवलगढ़

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:33:58 IST
Reason: SelfAttested